न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 501/2019/223 (2019/00501)

1. सुखदेव पुत्र नारायण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— रामधन पुत्र सुखदेव,
   1/2— महावीर पुत्र सुखदेव,
   1/3— कमलेश पुत्र सुखदेव,
   1/4— धन्नी पुत्री सुखदेव,
   1/5— मंजू पुत्री सुखदेव,
   1/6— हेमा पुत्र सुखदेव,
2. गोपाल पुत्र रामलाल (रामलाल पुत्र नारायण)
3. तेजमल पुत्र रामलाल,

   समस्त जाति माली, निवासी कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकिशन पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 13.12.2012 अंतर्गत वाद संख्या 155/2010.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अपीलांट सं0 1/1 से 1/6.
2. श्री महेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट संख्या 2 व 3.
3. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 53 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमर के खाता संख्या 152—728 के 9 खसरा

नंबरान की आराजियात स्थित है । उक्त आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराने हेतु कई बार प्रतिवादीगण को कहा किन्तु वे टालते रहे जिससे मौके पर आपस में विवाद होता रहता है । अतः आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 2/3 हिस्सा दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.12.2012 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस संख्या 1/1 से 1/6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तथा अपीलांटस अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना गैर कानूनी रूप से वाद डिक्री कर वाद में दिनांक 13.12.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को कोई नोटिस दिये बिना व बिना जवाब दावे के ही प्राथमिक डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष जमाबंदी में दर्ज सभी पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाये बिना गैर कानूनी बंटवारे की डिक्री पारित करवाई है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस संख्या 2 व 3 भी अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री से संतुष्ट नही है चूंकि पक्षकारान के मध्य वर्षो पूर्व ही आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका था तथा उसी अनुसार पृथक–पृथक काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपने–अपने हिस्से को विकसित कर काश्त करते आ रहे है किन्तु अधी0न्याया0 ने पारिवारिक बंटवारे अनुसार बंटवारा नहीं किया है । यह भी कथन किया कि अपीलांटस संख्या 2 व 3 को अपील में रेस्पो0 पक्षकार नियुक्त किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 के निर्णय से अपीलांटस संख्या 2 व 3 के हित प्रभावित होने से ट्रोसपोजिशन ऑफ पार्टीज के आधार पर अपीलांट बनाया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट सख्या 1/1 से 1/6 ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किये बिना एकतरफा में दिनांक 13.12.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित की है जिससे अपीलांट को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । प्रार्थी को हाल ही में दिनांक 16.7.2014 को विपक्षीगण के मौके पर आकर कब्जा छोड़ने को कहा । प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी न्यायालय में जाकर वकील के जरिये मालूमात की प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किया । प्रार्थी ने दिनांक 22.4.2014 को नकल प्राप्त होते ही कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 से 6 के कथनों को स्वीकार कर कथन किया कि वादवर्णित आराजियात खाता संख्या नया 152 पुराना 728 के खसरा नंबर 924 रकबा 2.48, खसरा नंबर 925 रकबा 0.71 है0,, 926 रकबा 2.22 है0,, 1027 रकबा 1.59 है0, 1028 रकबा 0.30 है0, 1914 रकबा 0.23 है0, 2971 रकबा 0.22 है0, 2972 रकबा 0.38 है0, 2975 रकबा 0.49 है0 एवं खसरा नंबर 1956, 2965, 2965, 2965 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा ट्रेस में विधिक बंटवारा किया जावे । अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण गोपाल एवं तेजमल पुत्र रामलाल द्वारा खाता संख्या 152–728 के खसरा नंबरान 924, 925, 926, 1027, 1028, 1914, 2971, 2972, 2975 बाबत् धारा 53 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पेश कर वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा होने का कथन कर वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम कादेड़ा की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार खाता संख्या 152–728 में अंकित खसरा नंबरान के खातेदार गोपाल, तेजमल पि0 रामलाल 1/3 हिस्सा, रामकिशन, सुखदेव पि0 नारायण 2/3 हिस्सा कौम माली सा0देह खातेदार दर्ज है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा वादपत्र पेश कर वादपत्र में वर्णित आराजियात का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी गिरदावरी, नक्शा ट्रेस में विधिक विभाजन किये जाने का कथन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 13.12.2012 को पारित कर विवादित आराजियात में वादीगण को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 2/3 हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु तहसीलदार, केकड़ी को मौका कमीश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये है । अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि उनके हिस्से में कोई कमी–बेशी की गई हो । जहां तक विवादित आराजियात के क्रेताओं को वाद में पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से बंटवारा प्रस्ताव तलब किये थे जिस पर पटवारी हल्का ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय विक्रेताओं के हिस्से में क्रेतागण का हिस्सा रखा है जिससे क्रेताओं के हक व अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अधी0न्याया0 ने वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर